न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 24 सन 2019

अनवान :–

1. अरविन्द पुत्र साहबराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
2. विनोद कुमार पुत्र आदराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी

वादीगण

बनाम

1. साहबराम पुत्र हरजीराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
2. आदराम पुत्र हरजीराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
3. विरेन्द्र पुत्र आदराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
4. शारदा 5 कैलाश 6 लिलावती पि0 साहबराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. निर्मला 8 लिलावती पुत्रीया आदराम जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01/02/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 135/139 के खसरा न0 163 की 0.9100हैक , खसरा न0 184/1 की 8.1320हैक खसरा न0 487/3 की 1.9480हैक कुल 10.9900हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का सयुक्त तौर से 154 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 426/410 के खसरा न0 487/5 की 5.4760हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 साहबराम अकेला 160 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675/641 के खसरा न0 184/2 की 0.6700हैक खसरा न0. 185 की 8.3590हैक खसरा न0 487/4 की 5.4760हैक कुल 14.505हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 आदराम सयुक्त तौर से 216–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा हरजीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1,2 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बसाबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 135/139 की कुल 10.9990हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 154 हिस्सा दर्ज है में से 77 हिस्सा का वादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है एवं 77 हिस्सा में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 426/410 की कुल 3.6680हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 160 हिस्सा का वादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 675/641 की कुल 14.5050 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 आदराम के नाम दर्ज 216–1/2 हिस्से के वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official